



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 95 राँची, शुक्रवार,

17 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

पत्रांक-14/अनु० 01-02/ 2018 का०- 546--25 जनवरी, 2023

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड ।

विषय :-

आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर
नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित विभागीय परिपत्र सं०-10167, दिनांक-01.12.2015 एवं अनुवर्ती परिपत्र के आलोक में कार्रवाई की जाती रही है। आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावे के संबंध में विभिन्न विभागों / जिलों से पृच्छा की जा रही है कि आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य है अथवा नहीं।

2. इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आत्महत्या से संबंधित मामलों में भी अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को प्रभावी नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।
